



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
(शोध अनुभाग)

क्रमांक: शोध/कोविड-19/विशेष/4/2021/210

दिनांक 12/3/2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना (Public Notice) क्रमांक F. 1-100/200 (CPP-II) दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.02.2021 की अनुपालना में ऐसे शोधार्थी जिनके शोध प्रबन्ध को जमा कराने की अधिकतम 07 वर्ष की अन्तिम तिथि 01 जुलाई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य थी लेकिन वे अपने शोध प्रबन्ध को जमा नहीं करवा पाए, को समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ दिनांक 30.06.2021 तक शोध प्रबन्ध जमा कराने की विशेष अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से वे ही शोधार्थी लाभान्वित होंगे जिन्होंने अपने 07 वर्ष के समय में समय विस्तार सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं का विश्वविद्यालय नियमानुसार पालन किया हो।

Sdr
(अरविन्द कुमार शर्मा)
उप कुलसचिव (शोध)

क्रमांक: शोध/कोविड-19/विशेष/4/2021/211-261
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

दिनांक 12/3/2021

1. समस्त संकाय अधिष्ठातागण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक, स्नातकोत्तर विभाग/केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. प्रो. एन. के. पाण्डेय, निदेशक (शोध), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. परीक्षा नियन्त्रक महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मानद निदेशक, केन्द्रीय पुस्तकालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, इन्फोनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय को उक्त आदेश विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Arvind Kumar
(अरविन्द कुमार शर्मा) 10/3/21
उप कुलसचिव (शोध)